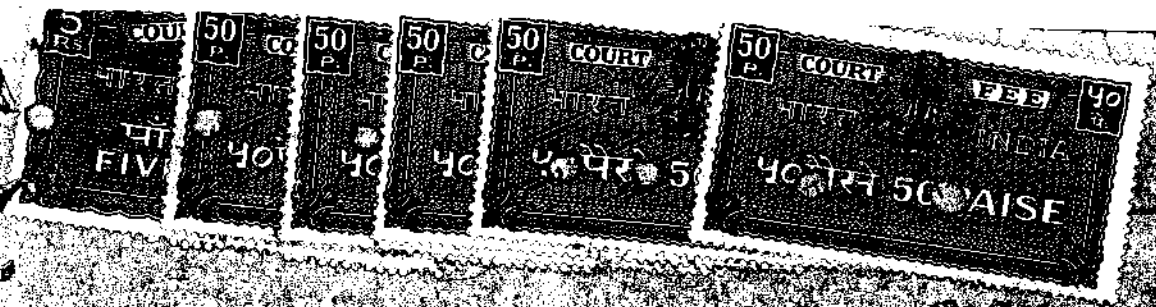

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :93 पुनरीक्षण

छत्तू पुत्र प्रेमचन्द जाटव
निवासी ग्राम पाँचो मजरा
मोहनपुरा तहसील-विजयपुर
जिला- मुरैना आवेदक

विरुद्ध

सुगन पुत्र कुंदेरो निवासी
ग्राम- पाँचो मजरा मोहनपुरा
तहसील-विजयपुर जिला मुरैना

RN/4-2/R/538/93

5.7.93

5.7.93

अपरआयुक्त चंबल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 163/91-92 अपील मेंपारित आदेश दिनांक26-2-93 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि,अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकार हीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि अनावेदक को कभी भी पट्टे पर प्रदान नहीं की गई थी और न ही ऐसा किसी साक्ष्य द्वारा सिद्ध है.

3. यह कि, आवेदक का विवादित भूमि पर लगभग 15 वर्षों से निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है.अनावेदक द्वारा आवेदक का आधिपत्य हटाने हेतु कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई.अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को अपने पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का न्यायोचित अवसर दिये बिना

प्र.क्र.- 4-2/538/1993(निगरानी)

4-7-16.

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण 163/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-1993 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2 / निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पॉचों की भूमि सर्वे नंबर 1979/7 के रकबा 0.418 है0 सुगन पुत्र कुढेरी की पटटे की भूमि है जिस पर आवेदक व्दारा बलात कब्जा कर लेने के कारण तहसील नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 9-5-1991 से बेजा कब्जेदार

आवेदक की बेदखली के आदेश दिये है एंव आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अपील कमांक 10/1990-91 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 1?18-3-1992 से अपील निरस्त की गई है तथा इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील होने पर प्रकरण 163/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-1993 रो अपील निरस्त की गई है क्योंकि आवेदक को अनावेदक की पटटे की भूमि पर बेजा कब्जेदार होना पाया गया है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

सदस्य